भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2354
13 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि के वितरण में विलंब

2354. श्री हैबी ईडन:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन-सम्बद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत प्रोत्साहनों के वितरण में मई, 2024 से विलंब हो रहा है, जबकि फार्मा जैसी अन्य पीएलआई योजनाओं में नियमित वितरण किया जाता है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार यह स्पष्ट करेगी कि वैश्विक बाजारों में भारतीय ब्रांडों की सहायता करने की प्रतिबद्धताओं के बावजूद पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय ब्रांडिंग और विपणन के लिए प्रोत्साहन राशि लगातार दो वर्षों से वितरित नहीं की गई है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत कई एमएसएमई और स्टार्टअप ने बिना कोई प्रोत्साहन राशि प्राप्त किए तीन वर्षों तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेश किया है और यदि हां, तो इस मामले को हल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार यह मानती है कि पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत प्रतिबद्ध प्रोत्साहनों के वितरण में और विलंब से निवेशकों के विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (ड़): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के तहत, आवेदक केवल समापन तिथि के अंतिम सप्ताह में अर्थात 25 से 31 दिसंबर के बीच प्रोत्साहन के लिए दावा प्रस्तुत करते हैं , क्योंकि 31 दिसंबर ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। इससे दावे के सत्यापन और संवितरण के लिए केवल 3 महीने का समय बचता है। इसके अलावा, जीएसटी अधिनियम के अनुसार, ऑडिट की गई बिक्री के साथ जीएसटी बिक्री का मिलान प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया जाता है। इसलिए, आवेदक मिलान प्रस्तुत करने के लिए समय लेते हैं। इसके अलावा, आवेदकों को प्रोत्साहन के लिए पात्र होने के लिए प्रमुख शर्तों– बिक्री में सीएजीआर, 31.03.2024 तक निवेश पूरा करना और उत्पादों में आयातित कच्चे माल का उपयोग न करने की शर्त को पूरा करना आवश्यक होता है । ऐसे मामलों में, प्रोत्साहन राशि जारी करने में देरी होती है । आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए प्रोत्साहन दावों की जांच करने पर, कभी-कभी सत्यापन के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं मिलते हैं , जिसके कारण प्रोत्साहन जारी करने में और अधिक देरी होती है।

*****